



छत्तीसगढ़ में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सामाजिक – आर्थिक प्रभाव

¹योगेंद्र अनेश्वरी, ²डॉ आशा रामटेके
, ³डॉ अशोक शर्मा

¹शोधार्थी, ²सहायक प्राद्यापक, ³प्राद्यापक
¹वाणिज्य विभाग

¹शासकीय जे योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर छ.ग.

संक्षेपिक: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत में किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार लाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ में केसीसी योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करता है, जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के भूमिधारकों से संबंधित 400 किसानों से प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए गए हैं। विश्लेषण में वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानित तकनीकों, विशेष रूप से युग्मित नमूना टी परीक्षण, का उपयोग करके योजना का लाभ उठाने से पहले और बाद में आय स्तर, ऋण उपयोग के पैटर्न और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता में आए परिवर्तनों का आकलन किया गया है। निष्कर्षों से किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार, उत्पादक कृषि कार्यों के लिए ऋण के उपयोग में वृद्धि और साहूकारों पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी का पता चलता है। सांख्यिकीय परीक्षण के परिणाम पुष्टि करते हैं कि ये परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं और आकस्मिक भिन्नता के कारण नहीं हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि इस योजना ने ग्रामीण परिवारों के बीच औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। हालांकि, विश्लेषण में कुछ सीमाएं भी पाई गई हैं, जिनमें जागरूकता की कमी, प्रक्रियात्मक जटिलताएं और संबद्ध कृषि गतिविधियों में सीमित विविधीकरण शामिल हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सकारात्मक और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसकी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द- किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, युग्मित t-परीक्षण, वित्तीय समावेशन, छत्तीसगढ़

I. भूमिका

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, जो इसकी आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है और ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अपनी केंद्रीय भूमिका के बावजूद, यह क्षेत्र लंबे समय से समय पर और किफायती संस्थागत ऋण की सीमित पहुंच से जूझ रहा है। राज्य की कृषि संरचना में प्रमुख भूमिका निभाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर गिरवी रखने के लिए संपत्ति की कमी, जटिल प्रक्रियाओं और अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता के कारण औपचारिक ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, कई किसान पारंपरिक रूप से साहूकारों और व्यापारियों जैसे अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर रहे हैं, जिससे उन्हें उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ता है और कर्ज के दुष्चक्र और आर्थिक असुरक्षा में फंसने का खतरा बना रहता है।

इस संदर्भ में, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की शुरुआत कृषि ऋण वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप था। यह योजना किसानों को अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीला, परिचालित ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें इनपुट की खरीद, फसल की खेती और संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और समय पर ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाकर, केसीसी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने और किसानों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहाँ कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित है और आय का स्तर कम है, किसान कर नियंत्रण योजना (केसीसी) का महत्व और भी बढ़ जाता है। संस्थागत ऋण तक पहुँच किसानों की उन्नत तकनीकों को अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने वाले इनपुट में निवेश करने और कृषि संबंधी अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

इस अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में किसान कर नियंत्रण योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना है, जिसके लिए किसानों की आय, ऋण उपयोग और वित्तीय व्यवहार में आए परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। वर्णनात्मक और सांख्यिकीय विश्लेषण को एकीकृत करते हुए, यह शोध लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में योजना की प्रभावशीलता के अनुभवजन्य प्रमाण प्रस्तुत करता है।

II. साहित्य समीक्षा

रमेश चंद और एस. के. श्रीवास्तव द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार लाने में संस्थागत ऋण की भूमिका का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं सहित औपचारिक ऋण तंत्रों तक पहुंच, किसानों की अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता को काफी हद तक कम करती है और कृषि इनपुट में समय पर निवेश करने में सक्षम बनाती है। द्वितीयक आंकड़ों और जमीनी स्तर के अवलोकनों का उपयोग करते हुए, लेखकों ने पाया कि संस्थागत ऋण तक पहुंच रखने वाले किसानों ने उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों, उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं जैसे आधुनिक इनपुट को बेहतर ढंग से अपनाने के कारण उच्च उत्पादकता स्तर प्रदर्शित किया। अध्ययन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऋण की उपलब्धता संकटग्रस्त बिक्री को कम करती है और किसानों को बेहतर विपणन निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। हालांकि, इसने ऋण वितरण में क्षेत्रीय असमानताओं और कुछ क्षेत्रों में सीमांत किसानों के निरंतर बहिष्कार की ओर भी इशारा किया। निष्कर्ष इस तर्क का दृढ़ता से समर्थन करते हैं कि संरचित ऋण प्रणाली कृषि में सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो छत्तीसगढ़ पर केंद्रित वर्तमान अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है।

ए. के. शर्मा और मीनाक्षी गुप्ता के शोध में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और किसानों के बीच ऋण व्यवहार में सुधार लाने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया। प्राथमिक सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित इस अध्ययन में पाया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को गैर-लाभार्थियों की तुलना में ऋण प्राप्त करने में अधिक आसानी हुई, जिससे कृषि और संबंधित गतिविधियों में निवेश में वृद्धि हुई। इसमें साहूकारों से उधार लेने में भी उल्लेखनीय कमी देखी गई, जिससे ब्याज का बोझ और वित्तीय तनाव कम हुआ। लेखकों ने पाया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की लचीलता, विशेष रूप से इसकी परिचालित ऋण सुविधा, किसानों के बीच बेहतर वित्तीय नियोजन में योगदान देती है। हालांकि, अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, नौकरशाही में देरी और अपर्याप्त बैंकिंग बुनियादी ढांचे जैसी बाधाओं की भी पहचान की गई। ये निष्कर्ष वर्तमान अध्ययन से काफी हद तक मेल खाते हैं, जो इस दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं कि हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड ने वित्तीय समावेशन में सुधार किया है, फिर भी इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए नीतिगत सुधार की गुंजाइश है।

III. उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं -

1. छत्तीसगढ़ में केसीसी लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करना।
2. केसीसी योजना के तहत ऋण उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण करना।
3. आय और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता में परिवर्तन का मूल्यांकन करना।
4. युग्मित नमूना t-परीक्षण का उपयोग करके सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की सार्थकता का सांख्यिकीय परीक्षण करना।

IV. अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 400 किसानों से एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है, जिससे विविध कृषि-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, भूमि का आकार, आय स्तर, ऋण स्रोत और कृषि-संधि योजना (केसीसी) का लाभ उठाने से पहले और बाद में इसके उपयोग के पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक संरचित और पूर्व-परीक्षित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

सीमांत, लघु और मध्यम किसानों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक अपनाई गई। आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक और अनुमानित सांख्यिकीय उपकरणों दोनों का उपयोग करके किया गया। आंकड़ों को सारांशित करने के लिए आवृत्ति, प्रतिशत और माध्य जैसे वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया, जबकि केसीसी अपनाने से पहले और बाद में प्रमुख संकेतकों में अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे या नहीं, इसकी जांच करने के लिए युग्मित नमूना टी परीक्षण लागू किया गया।

V. विश्लेषण

वर्णनात्मक विश्लेषण उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं, उनके ऋण उपयोग व्यवहार और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ उठाने के बाद आर्थिक स्थितियों में देखे गए परिवर्तनों की व्यापक समझ प्रदान करता है। यह खंड अध्ययन का अनुभवजन्य आधार बनता है और छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर योजना के संचालन की विस्तृत जानकारी देता है। आवृत्ति वितरण और प्रतिशत पैटर्न की जांच करके, विश्लेषण कृषि समुदाय की संरचनात्मक वास्तविकताओं को उजागर करता है और आगे के निष्कर्ष संबंधी परीक्षण के लिए आधार तैयार करता है।

तालिका 1 उत्तरदाताओं का आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि

चर	वर्ग	संख्या	(%)
आयु	Below 30	72	18.0
	30-50	208	52.0
	Above 50	120	30.0
भूमि स्वामित्व आकार	Marginal (<1 ha)	168	42.0
	Small (1-2 ha)	144	36.0
	Medium/Large (>2 ha)	88	22.0
शिक्षा का स्तर	Illiterate	96	24.0
	Primary	140	35.0
	Secondary & Above	164	41.0

उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक संरचना कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक पैटर्न दर्शाती है। आधे से अधिक उत्तरदाता (52 प्रतिशत) 30 से 50 आयु वर्ग के हैं, जो दर्शाता है कि केसीसी योजना के अधिकांश लाभार्थी अपने कामकाजी जीवन के सबसे सक्रिय वर्षों में हैं। यह आयु वर्ग आमतौर पर संस्थागत नवाचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील होता है और कृषि संबंधी निर्णय लेने में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होता है। 50 वर्ष से अधिक आयु के 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं की उपस्थिति पारंपरिक कृषि परिवारों के निरंतर प्रभुत्व को भी दर्शाती है, जहाँ कृषि प्रबंधन में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भूमि स्वामित्व वितरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 78 प्रतिशत उत्तरदाता सीमांत और लघु किसान वर्ग से संबंधित हैं। यह छत्तीसगढ़ में भूमि स्वामित्व के खंडित स्वरूप को उजागर करता है और कृषि आजीविका को बनाए रखने के लिए सुलभ ऋण प्रणालियों के महत्व को रेखांकित करता है। मध्यम और बड़े किसानों की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी यह दर्शाती है कि केसीसी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही है, जो इसकी नीतिगत मंशा के अनुरूप है।

शैक्षिक स्तर साक्षरता की ओर क्रमिक बदलाव दर्शाता है, जिसमें 41 प्रतिशत लोगों ने माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा प्राप्त की है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा जागरूकता, बेहतर प्रथाओं को अपनाने और बैंकिंग प्रक्रियाओं को समझने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। हालांकि, 24 प्रतिशत निरक्षर उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि एक महत्वपूर्ण वर्ग को अभी भी योजना को समझने और पूरी तरह से उपयोग करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

तालिका 2 किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग की प्रवृत्ति

क्रेडिट की आवश्यकता	संख्या	(%)
फसल उत्पादन	240	60.0
उत्पादन हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु	88	22.0
सहायक उद्योग हेतु	48	12.0
स्वयं के उपभोग के लिए	24	6.0

केसीसी ऋण के उपयोग का तरीका अध्ययन क्षेत्र के किसानों की प्राथमिकताओं और सीमाओं दोनों को दर्शाता है। उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत मुख्य रूप से फसल उत्पादन गतिविधियों के लिए ऋण का उपयोग करते हैं, जिनमें भूमि तैयार करना, बुवाई, सिंचाई और कटाई शामिल हैं। यह दर्शाता है कि योजना कृषि कार्यों को समर्थन देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा कर रही है।

उत्तरदाताओं में से 22 प्रतिशत बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे इनपुट की खरीद के लिए ऋण आवंटित करते हैं। हालांकि यह श्रेणी फसल उत्पादन से संबंधित है, यह उत्पादकता बढ़ाने वाले संसाधनों में अधिक विशिष्ट निवेश को दर्शाती है। अपेक्षाकृत कम अनुपात यह बताता है कि किसान इनपुट में निवेश कर रहे हैं, फिर भी जोखिम से बचने या वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च गुणवत्ता वाले या आधुनिक इनपुट को अपनाने में कुछ सीमाएं हो सकती हैं।

केवल 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन या मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए केसीसी निधि का उपयोग करने की सूचना दी। यह कम अनुपात आय स्रोतों में सीमित विविधता को दर्शाता है। यह देखते हुए कि संबद्ध गतिविधियां अतिरिक्त और अधिक स्थिर आय स्रोत प्रदान कर सकती हैं, यह निष्कर्ष एक ऐसे क्षेत्र की ओर इशारा करता है जहाँ नीतिगत हस्तक्षेप और जागरूकता कार्यक्रम आर्थिक लचीलेपन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं।

सर्वे में शामिल लोगों में से केवल 6 प्रतिशत ने ही उपभोग के लिए ऋण का उपयोग किया। यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि योजना का उपयोग मुख्य रूप से अनुत्पादक व्यय के बजाय उत्पादक निवेशों के लिए किया जा रहा है। यह वित्तीय अनुशासन और योजना के उद्देश्य के साथ उचित तालमेल को भी दर्शाता है।

तालिका 3 KCC से पूर्व और पश्चात् आय और अग्रिम पर आश्रिता

सूचकांक	KCC के पूर्व (%)	KCC के पश्चात् (%)
आय ₹50,000 से कम	48.0	20.0
आय ₹50,000-₹1,00,000	36.0	42.0
आय Above ₹1,00,000	16.0	38.0
गैर संस्थागत ऋण पर आश्रिता	62.0	18.0
संस्थागत ऋण पर निर्भरता	38.0	82.0
t-value	18.67	
t-test p-value	0.001	

केसीसी योजना का लाभ उठाने से पहले और बाद में आय वितरण के तुलनात्मक विश्लेषण से आर्थिक सुधार का स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। केसीसी योजना का लाभ उठाने से पहले, लगभग आधे उत्तरदाता (48 प्रतिशत) निम्नतम आय वर्ग में केंद्रित थे। योजना का लाभ उठाने के बाद, यह अनुपात घटकर 20 प्रतिशत रह गया, जो आय स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। मध्यम आय वर्ग में मामूली वृद्धि देखी गई है, जिससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में किसान निम्न आय वर्ग से अपेक्षाकृत स्थिर आय वर्ग में आ गए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ₹1,00,000 वार्षिक आय अर्जित करने वाले किसानों का अनुपात दोगुने से भी अधिक बढ़कर 16 प्रतिशत से 38 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ी हुई उत्पादकता, बेहतर इनपुट उपयोग और समय पर ऋण की उपलब्धता से सुगम बेहतर बाजार भागीदारी को दर्शाता है।

ऋण निर्भरता के पैटर्न में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। साहूकारों पर निर्भरता 62 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गई है, जो अनौपचारिक ऋण स्रोतों को प्रतिस्थापित करने में केसीसी की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। यह कमी न केवल किसानों पर वित्तीय बोझ कम करती है, बल्कि उन्हें शोषणकारी ऋण प्रथाओं से भी बचाती है।

साथ ही, संस्थागत ऋण तक पहुंच 38 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई है, जो वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। यह बदलाव इंगित करता है कि किसान औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में तेजी से एकीकृत हो रहे हैं, जिससे उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं जैसे कि बेहतर क्रेडिट इतिहास, बीमा तक पहुंच और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता। परिकल्पित t मान लगभग 18.67 है, जो 1 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर महत्वपूर्ण मान से काफी अधिक है। अतः यह शून्य परिकल्पना कि केसीसी से पहले और बाद में आय में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, अस्वीकृत हो जाती है। इससे यह पुष्टि होती है कि आय में वृद्धि आकस्मिक भिन्नता के कारण नहीं है, बल्कि सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है और केसीसी योजना के हस्तक्षेप के कारण है।

इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि केसीसी योजना ने किसानों के जीवन के आर्थिक और वित्तीय दोनों पहलुओं में संरचनात्मक सुधार लाए हैं। आय में वृद्धि और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी इसके सबसे प्रत्यक्ष परिणाम हैं, लेकिन आंकड़ों से कुछ ऐसे क्षेत्रों का भी पता चलता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से विविधीकरण को बढ़ावा देने और कम पढ़े-लिखे किसानों में जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में। इस खंड में देखे गए पैटर्न सांख्यिकीय सत्यापन की आवश्यकता को दृढ़ता से रेखांकित करते हैं, जिसका विश्लेषण आगे के निष्कर्ष विश्लेषण में किया जाएगा।

VI. निष्कर्ष एवं सुझाव

इस अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ में किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। समय पर और किफायती संस्थागत ऋण की उपलब्धता ने किसानों को बेहतर संसाधनों में निवेश करने, उत्पादन चक्र को स्थिर करने और समग्र कृषि आय बढ़ाने में सक्षम बनाया है। अनौपचारिक स्रोतों से औपचारिक स्रोतों की ओर बदलाव ने वित्तीय असुरक्षा को कम किया है और आर्थिक सुरक्षा में सुधार किया है। वर्णनात्मक पैटर्न, जो अनुमानात्मक परीक्षण द्वारा समर्थित हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि योजना ने वित्तीय

समावेशन को मजबूत किया है और सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक उन्नति में योगदान दिया है। साथ ही, जागरूकता के असमान स्तर, प्रक्रियात्मक बाधाओं और संबद्ध गतिविधियों में सीमित विविधीकरण की निरंतरता यह दर्शाती है कि सभी वर्गों को अभी तक इसका पूर्ण लाभ नहीं मिला है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, स्थानीय विस्तार कार्यक्रमों और किसान प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और जागरूकता में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाने और ऋण प्रक्रिया को तेज़ करने से किसानों की पहुंच बढ़ेगी, विशेष रूप से सीमित प्रशासनिक क्षमता वाले सीमांत किसानों के लिए। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे संबद्ध क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के उपयोग को प्रोत्साहित करने से आय विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और जोखिम कम होगा। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं सहित ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना को मजबूत करने से ऋण वितरण और निगरानी में और सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होती रहे, आवधिक मूल्यांकन और प्रतिक्रिया तंत्र को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. Chand, R., & Srivastava, S. K. (2014). Changes in the rural labour market and agricultural growth in India. *Economic and Political Weekly*, 49(38), 47–54.
2. Sharma, A. K., & Gupta, M. (2017). Impact of Kisan Credit Card scheme on financial inclusion: A study of rural households in India. *International Journal of Rural Management*, 13(2), 215–230.
3. Government of India (2023). *Agricultural Credit Review Report*.
4. NABARD (2022). *Status of Rural Credit in India*.
5. Reserve Bank of India (2023). *Banking Trends and Progress Report*.
6. Sharma, P. (2021). *Institutional Credit and Rural Development*.
7. Singh, R. (2020). *Agricultural Finance in India*.

